संख्या 6/2016/451/ सत्रह-म-2016 11-1-म(6)/06

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2016

विषय वर्ष 2015 -16 में 750 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 137/नि0शा0/ म0आ0/2015-16 दिनांक 01-03-2016 तथा प्रदेश मे लोहिया आवास के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों के समान मछुआ आवासों को बनाये जाने के सम्बंध में शासनादेश संख्या - 5/2015 /278/सत्रह-म-2015 6-9(40) /2014 दिनांक 23-02-2015 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष्य पुर्नजीवित किए गए केन्द्रांश के रूप में निर्गत शासनादेश संख्या – 20/2015-1099/सत्रह-म-2015 11-1-म (6)/2006 दिनांक 30-09-2015 के माध्यम से रू0 122.62591 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके दृष्टिगत योजना के महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन हेतु संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के 72 जनपदों में 750 मछुआ आवास के निर्माण हेतु केन्द्रांश प्राप्ति के प्रत्याशा में प्रथम किश्त के रूप में राज्यांश में रू0 800 लाख (रू0 आठ करोड) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन में रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2 /2015 /बी-1-925/दस-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रसारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी ।

(2) जिन मदों में सक्षम स्तर पर अनुमोदन अपेक्षित है, उन मदों में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) धनराशि का अन्यथा उपयोग होने पर निदेशक मत्स्य उत्तरदायी होगें।

(4) प्रदेश में लोहिया आवास के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों के समान मछुआ आवासों को बनाये जाने के सम्बंध में शासनादेश संख्या – 5/2015/278/सत्रह-म- 2015 6-9(40)/2014 दिनांक 23-02-2015 द्वारा निर्गत दिशा -निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(6) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण- पत्र भारत सरकार तथा शासन एवं महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा । योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को समय- समय पर अवगत कराया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सख्या – 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर फिशर मैंन ,0202- नेशनल फिशर मैंन वेलफेयर फण्ड की योजना,(के050/रा050 के0 रा0) 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0- ई-2-214 दिनांक 03 मार्च,2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या – 6/2016/451(1)/सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
3 सम्बंधित मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
4 सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5 वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6 वित्त (व्यय- नियत्रण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 नियो0 – 3
7 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या – 6/2016/451/ सत्रह-म- 2016, 11-1-म(6) / 2006 का दिनांक 03 मार्च, 2016 का संलग्नक

क्रम संख्या	जनपद का नाम	मछुआ आवासों का लक्ष्य
1	आगरा	10
2	फिरोजाबाद	10
3	मैनपुरी	10
4	मथुरा	10
	आगरा मण्डल	40
5	अलीगढ़	10
6	हाथरस	10
7	एटा	10
8	कासगंज	10
	अलीगढ मण्डल	40
9	आजमगढ	10
10	मऊ	10
11	बलिया	10
	आजमगढ मण्डल	30
12	इलाहाबाद	10
13	कौशाम्बी	10
14	फतेहपुर	10
15	प्रतापगढ	10
	इलाहाबाद मण्ठल	40
16	कानपुर नगर	10
17	कानपुर देहात	10
18	इटावा	10
19	औरैया	10
20	फरूखाबाद	10
21	कन्नौज	10
	कानपुर मण्डल	60
22	गोरखपुर	10
23	महराजगंज	10
24	देवरिया	10
25	कुशीनगर	10
	गोरखपुर मण्डल	40
26	बॉदा	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	चित्रकूट	10
28	हमीरपुर	10
29	महोबा	10
	चित्रकूट मण्डल	40
30	झांसी	10
31	जालौन	10
32	ललितपुर	10
	झांसी मण्डल	30
33	गोण्डा	10
34	बलरामपुर	10
35	बहराइच	10
36	श्रावस्ती	10
	देवीपाटन मण्डल	40
37	फैजाबाद	10
38	अम्बेडकरनगर	10
39	सुल्तानपुर	10
40	बाराबंकी	10
41	अमेठी	10
	फैजाबाद मण्डल	50
42	बरेली	10
43	बदायूं	10
44	शाहजहॉपुर	10
45	पीलीभीत	40
	बरेली मण्डल	70
46	बस्ती	10
47	संतकबीरनगर	10
48	सिद्वार्थ नगर	10
	बस्ती मण्डल	30
49	मेरठ	10
50	बागपत	10
51	बुलन्दशहर	10
	मेरठ मण्ठल	30
52	मुरादाबाद	10
53	सम्भल	10
54	रामपुर	10
55	बिजनौर	10
56	अमरोहा	10

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मुरादाबाद मण्डल	50
57	लखनऊ	10
58	उन्नाव	10
59	रायबरेली	10
60	सीतापुर	10
61	हरदोई	10
62	लखीमपुर खीरी	10
	लखनऊ मण्डल	60
63	वाराणसी	10
64	चन्दौली	10
65	गाजीपुर	10
66	जौनपुर	10
	वाराणसी मण्डल	40
67	मिर्जापुर	10
68	सोनभद्र	10
69	संतरविदास नगर	10
	बिन्ध्याचल मण्डल	30
70	सहारनपुर	10
71	मुज्जफरनगर	10
72	शामली	10
	सहारनपुर मण्डल	30
	प्रदेश योग	750

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।